न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

तारीख दायर 10/5/22

प्रकरण संख्या :– 161/2022

1– कैलाश पिता भोलु जाति हरिजन, उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

2– बाबुलाल पिता भोलु जाति हरिजन, उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थीगण

बनाम

1– कमलेश पिता राधाकिशन जाति हरिजन उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

2– पांचु पिता खाना जाति हरिजन उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

3– पप्पु पिता छीतर जाति हरिजन उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

4– नारायण पिता खाना जाति हरिजन उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

दिनांक –10/5/2022

:–आदेशः–

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री कैलाश, बाबुलाल** ने जरिये अभिभाषक **श्री ओमप्रकाश शर्मा, हर्षवर्धन शर्मा** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम तिलस्वां, पटवार क्षैत्र तिलस्वां, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र कास्यां तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 373 आराजी नंबर 942/595 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2075–2078** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वामित्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम तिलस्वां, पटवार क्षैत्र तिलस्वां, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र कास्यां तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 373 आराजी नंबर 942/595 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ